UPLK010113152022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 1316 / 2022

सरकार **बनाम** जहांगीर
अ0सं0 87 / 2021
धारा–302 भा0द0सं0 एवं
धारा– 3(2)(V) एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट
थाना–मड़ियाव, लखनऊ।

18–08–2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त जहांगीर जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूॅ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा0द0सं0 एवं धारा 3(2)(V) एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 01.09.2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010113152022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 1316 / 2022

सरकार **बनाम** जहांगीर

अ0सं0 87 / 2021
धारा–302 भा0द0सं0 एवं
धारा– 3(2)(V) एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट
थाना–मड़ियाव, लखनऊ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार–III, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त जहांगीर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ :–

प्रथमः यह कि दिनांक 14.03.2012 समय अदम तहरीर, थाना मड़ियाव, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत राजेन्द्र यादव का मकान, कृष्ण लोक नगर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में एक अन्य सहअभियुक्ता के साथ मिलकर वादी मुकदमा सुरेश के भाई प्रेम की हत्या कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा एक अन्य सहअभियुक्ता के साथ मिलकर वादी मुकदमा सुरेश के भाई प्रेम (जो अनुसूचित जाति की सदस्य है) की हत्या कारित किया, जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 18–08–2023

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांकः 18–08–2023

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

शैलेन्द्र, आशुलिपिक

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2023.08.18 15:30:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court